



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 219 राँची, मंगलवार, 5 जेष्ठ, 1942 (श०)
26 मई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

8 मई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-16/2019-5334 (HRMS)-- श्री सोमनाथ बनर्जी, झा0प्र0से0 (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन (पलामू) के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-905/मनरेगा, दिनांक 14.12.2018 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में श्री बनर्जी के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

“15 जून, 2017 को जिला 20 सूत्री कार्यक्रम समिति, पलामू की बैठक में माननीय स0वि0स0, छतरपुर के द्वारा डोभा निर्माण की योजना में अनियमितता की शिकायत के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन को जाँच करने का आदेश दिया गया, जिसके आलोक में पत्रांक-1310, दिनांक 21.11.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पंचायत- सतौवा के ग्राम-निमियाही में डोभा का निर्माण नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत- पालहेकला के ग्राम-पालहेकला में 07 अदद मुर्गी शेड का निर्माण किया गया है, जिसमें मनरेगा के जॉब कार्डधारी से कार्य कराया गया है।

जिसके आलोक में कार्यालय पत्रांक-734, दिनांक 11.10.2018 के द्वारा लोकपाल मनरेगा, पलामू से योजनाओं की जाँच कराई गई। लोकपाल मनरेगा, पलामू के पत्रांक-75, दिनांक 25.10.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिया गया, जिसमें 04 डोभा निर्माण की योजनाओं में अनियमितता प्रमाणित किया गया है।

इनका यह कृत्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में लापरवाही बरतने, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता एवं मनमाने आचरण का परिचायक है तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रतिकूल है।”

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2450, दिनांक 19.03.2019 द्वारा श्री बनर्जी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री बनर्जी के पत्र, दिनांक 25.07.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) दिनांक 30.08.2017 की जिला 20 सूत्री की बैठक में माननीय विधायक श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा सतौवा पंचायत के निमियाही गाँव में डोभा निर्माण में अनियमितता बरतने की सूचना दी गई, जिसके आलोक में उनके द्वारा अपने पत्रांक-1310, दिनांक 21.11.2017 द्वारा निमियाही गाँव में डोभा निर्माण नहीं होने संबंधी सूचना प्रेषित की गई।

(ii) लोकपाल मनरेगा द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में जिन डोभा निर्माण योजनाओं में अनियमितता प्रतिवेदित की गई है, वो सभी योजनायें बलगड़ा गाँव में हैं।

(iii) मनरेगा की कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत तथा प्रश्नगत मामले में भुगतान पंचायत सेवक श्री पारस नाथ तिवारी एवं सतौवा पंचायत के मुखिया श्रीमती सरोज रानी द्वारा किया गया है। योजनाओं में मापी कनीय अभियंता श्री प्रभंजन कुमार द्वारा की गई है।

(iv) वर्ष 2016-17 में लगभग 600 डोभा का निर्माण किया गया है एवं इसके अतिरिक्त प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय निर्माण एवं अन्य योजनायें भी कार्यान्वित थी। वे पाटन के अंचल अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रभार में भी थे। अतः उनके द्वारा सभी योजनाओं का गहन पर्यवेक्षण संभव नहीं था।

(v) डोभा तीन वर्ष पुराना है, अतः Siltation के कारण प्राक्कलन के अनुसार 10 फीट गहराई का डोभा तीन वर्ष बाद मिलना संभव नहीं है।

श्री बनर्जी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7837, दिनांक 27.09.2019 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-56/मनरेगा, दिनांक 27.01.2020 द्वारा मंतव्य दिया गया की श्री बनर्जी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पाटन के द्वारा योजनाओं का सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण यह अनियमितता बरती गई है, जिसके लिये वे पूर्णरूपेण जिम्मेवार हैं।

श्री बनर्जी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि लोकपाल मनरेगा, पलामू के पत्रांक-75, दिनांक द्वारा जिन चार डोभा निर्माण योजनाओं में अनियमितता प्रतिवेदित की गई है, उन सभी योजनाओं में उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू के ज्ञापक-903/मनरेगा, दिनांक 14.12.2018 द्वारा योजनाओं से संबंधित मेट, पंचायत सचिव, मुखिया, ग्राम रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं श्री बनर्जी, प्रखंड

विकास पदाधिकारी के विरुद्ध 1000/- ₹0 अर्थदण्ड के साथ राशि वसूली आदेश निर्गत किया गया एवं श्री बनर्जी द्वारा नाजीर रसीद सं0-304548, दिनांक 05.02.2019 द्वारा कुल 8963.83 ₹0 प्रखंड नजारत में जमा भी करवा दी गई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री सोमनाथ बनर्जी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन, पलामू समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SOMNATH BANERJEE JHK/JAS/268	श्री सोमनाथ बनर्जी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन, पलामू का स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सोमनाथ बनर्जी, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
